

परिशिष्ट-1

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-549 के प्रश्नांश (ग) की जानकारी


श्री सी.एल.पासी, जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर पदस्थ की जानकारी :-

क्रं	स्थान	कब से	कब तक
1	खण्डवा	02.02.2009	31.01.2011
2	अध्ययन अवकाश	01.02.2012	30.05.2015
3	रतलाम	01.6.2012	20.5.2015
4	इन्दौर	05/2015	20.7.2017
5	उज्जैन	24.7.2017	वर्तमान तक

श्री सी.एल.पासी, जिला कार्यक्रम अधिकारी के विरुद्ध पद पर रहते हुए प्राप्त शिकायत एवं आरोप की जानकारी :-

क्रं	वर्ष	प्राप्त शिकायत का संक्षिप्त विवरण	आरोप, की गई कार्यवाही आदि की जानकारी
1	09/2015	जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री सी.एल.पासी द्वारा पद का दुरुपयोग कर भारी भ्रष्टाचार एवं अनियमितताएं करने बाबत।	नोडल अधिकारी शिकायत शाखा जिला पंचायत रतलाम की जांच रिपोर्ट के विन्दु क्रमांक 07 श्रीमती प्रेरणा चौहान पर्यवेक्षक एवं परियोजना अधिकारी भारती चौहान को दोषी पाया एवं श्री सी.एल.पासी के विरुद्ध कोई ठोस प्रमाण प्राप्त नहीं उल्लेखित किया गया। यह उल्लेख नोडल अधिकारी शिकायत शाखा जिला पंचायत के जांच प्रतिवेदन में है।
2	08/2016	आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल में पंजीबद्ध शिकायत 94/16	प्रकरण आर्थिक अपराध ब्यूरो में विचाराधीन है। जांच की अद्यतन स्थिति की जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

Utt/V.S.


अनुभाषा अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग 205

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-549 के प्रश्नांश (ग) की जानकारी


3	08/2016	रतलाम जिले में आंगनवाडी भवन उन्नयन के नाम पर तत्कालीन अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार कर शासन को नुकसान पहुंचाने की गंभीर शिकायत प्राप्त हुई। (श्री सी.एल.पासी जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा श्री रवीन्द्र मिश्रा सहायक संचालक के विरुद्ध शिकायत)	संचालनालय स्तर पर जांच दल गठन कर जांच कराई गई। शासन स्तर से श्री सी.एल.पासी तत्का. जिला कार्यक्रम अधि. एवं श्री रवीन्द्र मिश्रा तत्का. जिला कार्यक्रम अधि. को कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया है, कार्यवाही प्रचलन में है। इसी क्रम में संचालनालय स्तर से श्री मुकेश वर्मा, परियोजना अधिकारी को निलंबित किया जा कर आरोप पत्र जारी किया गया है, जिसकी कार्यवाही प्रचलन में है।
---	---------	--	---



(आर.एस.रघुवंशी)

संयुक्त संचालक

एकीकृत बाल विकास सेवा
मध्यप्रदेश


अनुभूषा अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग